रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102025-266951
CG-DL-E-15102025-266951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4544] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2025/आश्विन 23, 1947
No. 4544] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2025/ASVINA 23, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4673(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4921 (अ) तारीख 18 अक्टूबर 2022, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 18 अक्टूबर 2022, में प्रकाषित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तमिलनाडु राज्य में नेचुरल गैस परिवहन के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दक्षिण कावेरी परीसंपति संजाल पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 20.12.2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पष्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिष्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देष देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाषन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉरपोरेशन के विरूद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : मेइलाडुथुरै					**राज्य :** तमिल नाडु	
क्रम सं.	**गॉव का नाम**	**तालुक का नाम**	**सर्वे संख्या**	**क्षेत्रफल**		
				हेक्टर	**एयर**	**व.मी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	कुथलम नंबर. 51	कुथलम	198/7	00	01	00
2			203/1A	00	07	50
3			204/6B	00	06	50
4			204/7	00	05	00
5			208	00	03	00
6			55	00	03	00
7			36/6	00	04	00
8			36/3	00	12	00
9			36/5	00	03	00
10			32/6B	00	11	50
11			32/2B	00	02	00
12			34/1	00	15	00
13			31/1	00	08	00
14			31/2	00	04	50
15			30	00	05	00
16			29/1	00	16	00
17			13/1	00	12	00
18			12/2	00	02	50
19	इनाम उम्म्बलपुर	कुथलम	56	00	05	00
20	विलियानल्लुर नंबर.50	कुथलम	500	00	18	50

21			501/1	00	13	50
22			501/3	00	05	00
23			493/1	00	08	50
24			493/2B	00	02	50
25			492	00	01	00
26			491/2	00	02	50
27			491/3B	00	05	00
28			491/5	00	04	00
29			491/6	00	06	50
30			490/1	00	05	50
31			490/2	00	04	00
32	इनाम कुथलम नंबर. 511	कुथलम	16/3	00	05	50
33			16/4A	00	06	00
34			16/4B	00	07	00
35			17	00	02	00

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/69/2022-इएक्सपीएल-1-पीएनजी (ई-44738)]
सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2025

S.O. 4673(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4921(E) dated the 18th October, 2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 18thOctober, 2022, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas Product, of Southern Cauvery Asset Pipelines Network Should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 20.12.2022

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government's

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Limited., free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Limited. Shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District: Mayiladuthurai						**State: Tamil Nadu**
Sl. No.	**Name of Village**	**Name of Taluk**	**Survey No.**	**Area**		
				Hect.	**Are**	**Sq.m**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Kuthalam No.51	Kuthalam	198/7	00	01	00
2			203/1A	00	07	50
3			204/6B	00	06	50
4			204/7	00	05	00
5			208	00	03	00
6			55	00	03	00
7			36/6	00	04	00
8			36/3	00	12	00
9			36/5	00	03	00
10			32/6B	00	11	50
11			32/2B	00	02	00
12			34/1	00	15	00
13			31/1	00	08	00
14			31/2	00	04	50
15			30	00	05	00
16			29/1	00	16	00
17			13/1	00	12	00
18			12/2	00	02	50
19	Enam Umambalpuram No.512	Kuthalam	56	00	05	00
20	Villiyanallur No.50	Kuthalam	500	00	18	50
21			501/1	00	13	50
22			501/3	00	05	00
23			493/1	00	08	50
24			493/2B	00	02	50
25			492	00	01	00
26			491/2	00	02	50
27			491/3B	00	05	00
28			491/5	00	04	00
29			491/6	00	06	50
30			490/1	00	05	50
31			490/2	00	04	00
32	Enam Kuthalam No.511	Kuthalam	16/3	00	05	50
33			16/4A	00	06	00
34			16/4B	00	07	00
35			17	00	02	00

[F. No. Expl-11032(11)/69/2022-EXPL-I-PNG (E-44738)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.15 21:44:37 +05'30'